329 | नि०शा०
13/5/2010

संख्या: 1142/सत्रह-म0-2010-11-11121/2007

प्रेषक,

पी0के0 अग्रवाल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

✓ निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश-लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति (प्रथम किश्त)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 254/नि0शा0/जलप्लावित/2010-11 दिनांक 15 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जल प्लावित/निष्प्रयोज्य भूमि को आवश्यकतानुसार मत्स्य पालन योग्य तालाब में परिवर्तित करने के लिये जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राविधानित धनराशि रूपया 90.00 लाख में से 50% (प्रथम किश्त) अर्थात रूपया 45,00,000/= (रूपये पैतालिस लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखते हुए आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा गाइड लाइन्स के अधीन व्यय किया जायेगा।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित जनपदों की प्राचीन झीलों का सुधार कर झीलों का विकास मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से किया जायेगा। यह परियोजना छोटे जल प्लावित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी। अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में उपलब्ध जल प्लावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जायेगा, सुधारोपरान्त यह तालाब शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप चयनित लाभार्थियों को आवंटित कर मत्स्य पालन का कार्य कराया जायेगा। सुधार पर व्यय नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानकों

...2...

(3) संलग्नक 3/1/11 RwDF 12/5/10 - AD.F.H.O./नि.शा.

(एस0 के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक, मत्स्य

श्री अनिल 13-05-10

अथवा कार्यदायी संस्था के आगणन के अनुसार कार्य कराया जायेगा। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय। किसी भी प्रकार की अनियमितता अवांछनीय होगी।

3- उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन आयोजनागत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0406-जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण, 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उक्तवत् ।

भवदीय,

(पी0के0 अग्रवाल)
विशेष सचिव ।

संख्याः 1142/11/सत्रह-म0-2010-11-1112/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनु0-1/ नियोजन अनुभाग-3
5- गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

(पी0के0 अग्रवाल)
विशेष सचिव ।